बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800001

56वीं से 59वों सम्मिलित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा

आवश्यक सूचना

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62 दिनाक 05.01.2007 एवं पत्र सं॰ 3433 दिनांक 09.10.2007 द्वारा वैसे सभी दृष्टिबाधित/कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों जिनकी दृष्टि निःशक्ता 40% एवं उससे अधिक है और उस संबंध में चिकित्सा परिषद/सक्षम प्राधिकार द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र निर्गत हो, के लिए परीक्षा में एक श्रुतिलेखक, जो परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम याग्यता के स्तर से एक स्तर कम का होगा, की व्यवस्था किये जाने का निदेश दिया गया है। इस आलोक में 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के वैसे सभी उम्मीदवार जिनकी दृष्टि बाध्यता का प्रतिशत 40% एवं उससे अधिक है, और उन्होंने अपने ओ॰एम॰आर॰ आवेदन पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया है, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा परिषद/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वःअभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर परीक्षा से एक दिन पूर्व निश्चित रूप से अपने केन्द्राधीक्षक को हस्तगत कराएगे, ताकि उनके लिए संबंधित केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुति लेखक की व्यवस्था ससमय किया जा सके।

यह सूचना आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना